उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

आदेश पत्रक

सी०सी०ए० (जिला बदर) वाद संख्या–51/2023

राज्य बनाम् ओम प्रकाश पाण्डेय

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख

08/09/23
09/10/23

–:: आदेश ::–

पुलिस अधीक्षक, रामगढ़ का ज्ञापांक–272/डी०सी०बी०, दिनांक–10.06.2023 द्वारा कुख्यात अपराधकर्मी ओम प्रकाश पाण्डेय, पिता–नाधो पाण्डेय, सा०–जयनगर, थाना–पतरातू, जिला–रामगढ़ के विरूद्ध झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम–2002 के अध्याय–02 की धारा–3(3) के तहत् जिला निष्कासन करने से संबंधित प्रस्ताव अनुशंसा के साथ प्राप्त हुआ है।

प्राप्त प्रस्ताव का अवलोकन किया। अभियुक्त को उनका पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। अभियुक्त की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से विद्वान सरकारी अधिवक्ता के बहस को सुना। विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित रूप से कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया है ना ही अन्य कोई लिखित पक्ष रखा गया है। बहस के दौरान विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा एक मात्र दलील यह दिया गया है कि द्वितीय पक्ष फिलहाल न्यायिक हिरासत में है, जिसके लिए bail petition दाखिल किया गया है।

उपरोक्त के आलोक में इस न्यायालय के सम्मुख तीन मुख्य विचारणीय प्रश्न है।

1. क्या झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 की धारा 3(1) (a) के आलोक में विपक्षी असामाजिक तत्व है?
2. क्या झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 की धारा 3(1)(b)(i) अथवा 3(1)(b) (ii) की शर्तें पुरी हो रही है?
3. क्या विपक्षी के न्यायिक हिरासत के दौरान Sec (3) के अंतर्गत आदेश दिया जा सकता है?

Sec 3. Externment etc. of anti-elements. –

(1) Where it appears to the District Magistrate that-

(a) Any person is an anti-social element; and

(b) (i) that his movements or acts in the district or any part thereof are causing or calculated to cause alarm, danger or harm to persons or property; or

(ii) that there are reasonable grounds for believing that he is engaged or about to engage, in the district or any part thereof, in the commission of any offence punishable under Chapter XVI or Chapter XVII of the Indian Penal Code, or under the Suppression of Immoral Traffic in Women and Girls Act, 1956 or abetment of such offence;

अभियुक्त व्यावसायियों, उद्यमियों, संवेदकों, दुकानदारों आदि से रंगदारी एवं हत्या हेतु अपहरण करने जैसे गंभीर काण्डों में आरोपित रहा है। अभियुक्त के विरूद्ध अपराधिक इतिहास करने जैसे गंभीर काण्डों में आरोपित रहा है। अभियुक्त के विरूद्ध अपराधिक इतिहास निम्न प्रकार है :-

1. पतरातू थाना काण्ड संख्या-309/2014, दिनांक-23.12.2014 धारा-364/34 भा०द०वि०।
2. पतरातू थाना काण्ड संख्या-142/2018, दिनांक-14.05.2018 धारा-143/353/224/225/120बी भा०द०वि० एवं 25(1-बी)ए/26/30/35 आर्म्स एक्ट।
3. पतरातू थाना काण्ड संख्या-87/2020, दिनांक-06.05.2020 धारा-385/386/387/506/34 भा०द०वि० एवं 25(1-बी)ए/26/35 आर्म्स एक्ट।
4. पतरातू थाना काण्ड संख्या-88/2020, दिनांक-08.05.2020 धारा-25(1-बी)ए/26/35 आर्म्स एक्ट।
5. पतरातू (भूरकुण्डा) थाना काण्ड संख्या-119/2020, दिनांक-09.06.2020 धारा-323/341/384/385/387/34 भा०द०वि०।

उक्त अपराधिक इतिहास से स्पष्ट है कि अभियुक्त के विरूद्ध कई संगीन मामले दर्ज है।

इसके अतिरिक्त कई सनहा भी दर्ज है :-

1. पतरातू थाना सनहा संख्या-25/2022, दिनांक-16.09.2022,
2. पतरातू थाना सनहा संख्या-22/2022, दिनांक-11.09.2022,
3. पतरातू थाना सनहा संख्या-25/2022, दिनांक-21.09.2022,
4. पतरातू (भुरकुण्डा) थाना सनहा संख्या-16/2022, दिनांक-29.09.2022 एवं
5. बासल थाना सनहा संख्या-25/2022, दिनांक-16.09.2022

जिसमें इनके उपर रेलवे, NTPC/CCL इत्यादि के कॉंट्रेक्टर को धमकाने और रंगदारी मांगने की सूचना दर्ज है। तथा ये भी अंकित है कि विपक्षी पाण्डेय गिरोह/श्रीवास्तव गिरोह का सक्रिय सदस्य है तथा भयादोहन करने व रंगदारी मांगने का कार्य करता है। पुलिस अधीक्षक, रामगढ़ द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि इनके प्रभाव क्षेत्र में इस संगठन का लोगों के बीच इतना खौप बना हुआ है कि इन लोगों के खिलाफ कोई भी व्यक्ति कुछ बोलता नहीं है और न हीं गवाही देने के लिए हिम्मत जुटा पाता है, जिसके कारण इनके द्वारा क्षेत्र में आसानी से घटना को अंजाम दिया जाता है। ये

जमानत पर मुक्त होते ही अपनी दुगुनी उर्जा के साथ अपराधिक कृत्यों में शमिल हो जाता है।

असामाजिक तत्व की परिभाषा झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 के धारा के 2(d) में दी गयी है जिसके अनुसार :–

"Anti-social element" means a person who-

(i) either by himself or as a member of or leader of a gang, habitually commits or attempts to commit or abets the commission of offences punishable under Chapter XVI or Chapter XVII of the Indian Penal Code; or

(ii) habitually commits or abets the commission of offences under the Suppression of Immoral Traffic in Women and Girls Act, 1956;

(iii) who by words or otherwise promotes or attempts to promote, on grounds of religion, race, Ianguage, caste or community or other grounds whatsoever, feelings of enmity or hatred between different religions, racial or language groups or castes or communities; or

(iv) has been found habitually passing indecent remarks to, or teasing women or girls; or

(v) who has been convicted of an offence under sections 25,26,27, 28 or 29 of the Arms Act of 1959.

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विजय नारायण सिंह बनाम बिहार राज्य 1984 में habitual अभिव्यक्ति की व्यख्या की गई है।

"Habitual means a thread of continuity stringing together similar repetitive acts and not some isolated, individual and "dissimilar" acts. The expression "habitually" means "repeatedly" or "persistently"

उपर उल्लेखित विपक्षी के अपराधिक इतिहास से स्पष्ट होता है कि द्वितीय पक्ष गैंग के सदस्य के रूप में IPC Chapter XVI & XVII के अपराधों को habitually commit करते है। तथा ठेकेदारों से रंगदारी वसूलना तथा उसके लिए भयादोहन करने का कार्य करते हैं। पतरातू थाना काण्ड संख्या–309/2014 के दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि इनके उपर सरफुद्दीन अंसारी के पुत्र को अपहरण करने का गंभीर आरोप है, जिसकी सुनवाई सिविल न्यायालय में चल रही हैं और उनमें ये जमानत पर बाहए आए है तथा अन्य वाद में पुनः न्यायिक हिरासत में भेजे गए है।

अतः a thread of continuity stringing together similar repetitive acts हैं। और यदि इसमें कोई भी gap apparent प्रतीत होता है तो वो प्रायः इसलिए है कि विपक्षी उस दौरान न्यायिक हिरासत में था। विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कारण पृच्छा अथवा बहस में इसके विपरीत

कोई दलील या साक्ष्य भी नहीं दिया गया है। अतः निःसंदेह Sec 2(d) के आलोक में विपक्षी असामाजिक तत्व है।

उपर उल्लेखित तथ्यों से स्पष्ट है कि विपक्षी के "movements or acts in the district or any part thereof are causing or calculated to cause alarm, danger or harm to persons or property; जो धारा 3(1) (b) (i) के शर्तो को भी पूरा करता है।

अपराधिक इतिहास और दर्ज सनहा से स्पष्ट है कि "that there are reasonable grounds for believing that he is engaged or about to engage, in the district or any part thereof, in the commission of any offence punishable under Chapter XVI or Chapter XVII of the Indian Penal Code, " जो 3(1) (b) (ii) की शर्तो को भी पूरा करता है।

न्यायिक हिरासत के दौरान निरूद्धादेश इत्यादि की विवेचना विभिन्न माननीय उच्च न्यायालयों द्वारा तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कई वादों में की गयी है। यथा Rameshwar Shaw vs District Magistrate, Burdwan and Anr AIR 1964 SC 334, Vijay Kumar vs State of Jammu & Kashmir and others (1982) 2 SCC 43, Binod Singh vs District Magistrate, Dhanbad, Bihar and others (1986) 4 SCC 416.

Rishada Haris K.P. vs State of Kerala W.P(Criminal) 917/2022 में माननीय उच्च न्यायालय केरल द्वारा उपरोक्त विवेचना को इस प्रकार संक्षेपित किया गया है।

> "It is by now well settled that an order of detention can be validly passed against a person, who is already in custody subject to the condition that the detaining authority must necessarily be aware of the fact that the detenu is already in detention and secondly, thers are compelling reasons justifying such preventive detention, despite the fact that the detenu is already in detention and for the latter component of compeling reason, it has to be established that cogent materials are available before the detaining authority, on the basis of which it is satisfied that the detenu is likely to be released from custody in the near future and that therefore, taking into account the antecedents of the detenu, he is very likely to indulge in further prejudicial activities after his release from the custody and that therefore, his preventive detention is highly necessary and imperative.

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बताया गया है कि जमानत याचिका दायर की गई है। विपक्षी के अपराधिक इतिहास और पुलिस

अधीक्षक, रामगढ़ के प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि विपक्षी यदि हिरासत से बाहर आते हैं तो पुनः अपराधिक गतिविधियों में शामिल होने की प्रबल संभावना है। पूर्व में भी जमानत पर बाहर आकर अपराधिक कृत्यों में शमिल हुए है।

अतः विद्वान सरकारी अधिवक्ता, रामगढ़ के द्वारा बहस के दौरान दिये गये मंतव्य एवं पुलिस अधीक्षक, रामगढ़ द्वारा प्राप्त अनुशंसा से सहमत होते हुए विधि–व्यवस्था/लोक शांति बनाए रखने तथा आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से कुख्यात अपराधकर्मी ओम प्रकाश पाण्डेय, पिता–नाथो पाण्डेय, सा०–जयनगर, थाना–पतरातू, जिला–रामगढ़ के विरूद्ध झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम–2002 के अध्याय–02 की धारा–3(3) के तहत् निम्न आदेश दिया जाता है :–

1. अभियुक्त को 06 (छः) महीने के लिए रामगढ़ जिला क्षेत्राधिकार से **निष्कासन (जिला बदर)** का आदेश दिया जाता है। अभियुक्त यदि न्यायिक हिरासत से बाहर आ चुके है तो, 24 घंटे के भीतर अथवा न्यायिक हिरासत से बाहर आने के 24 घंटे के भीतर जिले की सीमा को छोड़ देंगे एवं 06 (छः) माह तक जिले की सीमा में बगैर लिखित पूर्वानुमति के प्रवेश नही करेंगे।
2. यदि कोई अनुज्ञप्ति (Licence) धारित शस्त्र है तो अविलम्ब उसे स्थानीय थाने में जमा करायेंगे एवं इस अवधि में किसी भी स्थिति में शस्त्र धारित नहीं करेंगे।

आदेश का उल्लंघन झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 की धारा 25 तथा भारतीय दण्ड संहिता, इत्यादि के अन्य सुसंगत धाराओं के अंतर्गत दंडनीय होगा। आदेश की प्रति अग्रेतर आवश्यक कार्रवाई हेतु पुलिस अधीक्षक, रामगढ़ को भेजें। इसी आदेश के साथ वाद निस्तार किया जाता है।

Chandan 09/10/23

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी,
रामगढ़।

Digitally signed by Chandan Kumar
Date: 2023.10.12 17:53:56 +05:30
Location: 192.168.0.223